



न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Nuclear Power Corporation of India Limited

(भारत सरकारका एकउद्यम A Government of India Enterprise)

माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना
Mahi Banswara Rajasthan Atomic Power Project

पोस्ट ऑफिस नापला, ग्राम रेल, आडीभीत तह.छोटीसरवन बांसवाड़ा, पिन 327001
P.O. Napla, village Rel, Aadhbhit The. Choti Sarwan Banswara, PIN 327001
(ई-मेल-mail mbrappnpcil@gmail.com)

No. NPCIL/MBRAPP/2021/266

Dtd:-26-10-2021

उपवन संरक्षक,
बांसवाड़ा।

विषय:- एन.पी.सी.आई.एल. प्रोजेक्ट में आने वाली वन भूमि रकबा 100.05 हैक्टेयर के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

प्रसंग :-आपका पत्र क्रमांक प.14 ()एफ.सी./उवसं/2021/10650 दिनांक 25-10-2021 एवं मुख्य वन संरक्षक उदयपुर का पत्र क्रमांक एफ 5 () मुक्सं/वसु/2021-22/5006 दिनांक 13-08-2021 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर द्वारा वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में सन्दर्भित पत्र में अंकित बिन्दुओं पर रिपोर्ट चाही गई है, जिसके अन्तर्गत बिन्दु संख्या 1 से 8 कुल 8 बिन्दु जिसका सम्बन्ध इस परियोजना से है, बिन्दुवार प्रति उत्तर/अपेक्षित कार्यवाही के सम्बन्ध में सूचना निम्नानुसार है :-

बिन्दु संख्या 1 :- विस्तृत कार्यवाही विवरण उपवन संरक्षक बांसवाड़ा द्वारा दिया जाना अपेक्षित है अतः आपके स्तर से उत्तर दिया जाना प्रस्तावित है।

बिन्दु संख्या 2 :- बिन्दु सं 2 में अनुमानित दूरी के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण वन विभाग द्वारा दिया जाना प्रस्तावित है।

बिन्दु संख्या 3 :- पूर्व में 200.10 हैक्टेयर परिभाषित वन भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित कर प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। किन्तु उपरोक्तानुसार प्राप्त निर्देशों की पालना में रेन्ज बांसवाड़ा के क्षेत्राधिकार में आने वाली 86 हैक्टेयर परिभाषित वन भूमि का प्रस्ताव भी ऑनलाइन प्रस्ताव में सम्मिलित कर दिया गया है जिसकी हार्ड कॉपी ऑफलाइन प्रस्ताव में सम्मिलित करने हेतु सलग्न प्रस्तुत है।

बिन्दु संख्या 4 :- सी.सी.एफ. द्वारा मौका निरीक्षण की रिपोर्ट वन विभाग द्वारा अपलोड कराया जाना प्रस्तावित है।

बिन्दु संख्या 5 :- एन.एफ.एल. से सम्बन्धित समस्त अवांछित दस्तावेजों को परिवेश पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्ताव से हटा दिये गये हैं।

बिन्दु संख्या 6 :- निर्देशानुसार प्रत्यावर्तन प्रकरण के सम्बन्धन में नियमानुसार वांछित समस्त अण्डरटेकिंग आनलाईन अपलोड कर दी गई है, जिसकी हार्डकॉपी 5 प्रतियों में इस जवाब के साथ प्रस्तुत है।

बिन्दु संख्या 7 :- रोजगार सृजन के सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्ताव में सलग्न किये गये पर्यावरण प्रभाव आकलन के अध्याय 4 एवं 7 में दिया गया है, जिसकी प्रति अवलोकनार्थ सलग्न है।

बिन्दु संख्या 8 :- परियोजना में पॉवरप्लान्ट की डिजाइन तैयार की जा रही है। डिजाइन स्वीकृत होने पर पॉवर प्लान्ट के अन्दर आने से कटने वाले वृक्षों की सही-सही संख्या निर्धारित की जा सकती है, यद्यपि परियोजना में आनेवाले वनविभाग के समस्त वृक्षों की गणना कर ली गई है, एवं अति आवश्यक स्थिति में कम से कम वृक्ष काटे जायेंगे। परियोजना के निर्माण हेतु कुल 100.05 हैक्टेयर वनभूमि का प्रत्यावर्तन कराया जाना प्रस्तावित किया गया है, जो प्रोजेक्ट के लिये न्यूनतम एवं अपरिहार्य है, किन्तु प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित की गई कुल वन भूमि का अधिकतम 5 से 10 प्रतिशत भाग ही वाटर कारिडोर एवं सयंत्र निर्माण हेतु उपयोग में लिया जावेगा। शेष भूमि नाभिकीय उर्जा सयंत्र हेतु स्थापित किये गये राष्ट्रीय/अन्तराष्ट्रीय मापदण्डों के अनुसार Buffer Area के रूप में वांछित है, जिसमें कोई भी निर्माण कार्य करवाया जाना प्रस्तावित नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित कुल वन भूमि में मौजूद 9725 वृक्षों में से परियोजना निर्माण के समय आवश्यकता के अनुसार न्यूनतम वृक्षों को ही कटवाया जावेगा। इसके अतिरिक्त प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित की गई वन भूमि में मौजूद वृक्षों के अलावा रिक्त पट्टे स्थानों पर भी एन.पी.सी.आई.एल. द्वारा खाली जगह (Blank pockets) में यथोचित सघन वृक्षारोपण करवाया जावेगा।

for me
मुख्य अभियन्ता
एन.पी.सी.आई.एल. (बांसवाड़ा)
26.10.2021